राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 1(80) परि/स्था/2017/ 20270   जयपुर, दिनांकः 6-9-2023

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्व पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.08.2023 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न कार्मिकों को संस्थापन अधिकारी (लेवल इन पे मैट्रिक्स एल–15) के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

वर्ष 2023–24

	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति तिथि
1. श्री राजसिंह चौधरी	सामान्य	12.05.1970	01.04.2023
2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	05.05.1964	01.03.2024

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.10.2021 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 10.08.2022 द्वारा पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इन परिपत्रों के अनुसार रिक्तियों का प्रथम पद क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दिव्यांगजन हेतु आरक्षित होता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2022 की पालना में दिव्यांगजन की चारों श्रेणियों में अन्तः परिवर्तन के फलस्वरूप तृतीय श्रेणी के पात्र कार्मिक श्रीमती अनिता गोदिका की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 16.08.2023 को होने एवं रिक्ति दिनांक 01.03.2024 को उपलब्ध होने के कारण श्रीमती गोदिका के लिये रिक्ति की उपलब्धता से पूर्व ही सेवानिवृत होने से पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। अतः उक्त पद को सामान्य प्रक्रिया से भरते हुए आरक्षण को अग्रेषित किया जाता है।

श्री नासिर जावेद के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में दिनांक 15.06.2023 द्वारा ज्ञापन जारी होने के कारण विभागीय जांच प्रक्रियाधीन होने से इनकी पदोन्नति अनुशंसा को सील्ड कवर किया जाता है एवं श्री जावेद के लिये 01 पद रिक्त रखा जाता है।

श्री राजसिंह चौधरी को रिक्ति तिथि 01.04.2023 से पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का काल्पनिक लाभ तथा कार्यग्रहण तिथि से नकद लाभ देय होगा। श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की पदोन्नति के लिये रिक्ति तिथि 01.03.2024 होने से श्री शर्मा अपनी उपस्थिति दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत करेंगे। श्री राजसिंह चौधरी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

(कन्हैयालाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांकः एफ 1 (80) परि/स्था/2017/20271-78 जयपुर, दिनांकः 6-9-2023

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राज.,जयपुर।
4. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
5. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर–प्रथम एवं उदयपुर।
6. संबंधित अधिकारी श्री ....
7. भुगतान शाखा दो प्रतियों में
8. निजी/रक्षित पत्रावली

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)